Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 96-2016/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 जून, 2016
(7 आषाढ़, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का0आ0 18/पं0अ0 17/1887/धा038/2016, दिनांक 28 जून, 2016 – अधिसूचना संख्या का0आ01/पं0अ0 17/1887/धा038/2013, दिनांक 7 जनवरी, 2013 के अधिक्रमण में फीसों का मापमान नियत करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	293–294
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जून, 2016

संख्या का0आ0 18/पं0अ0 17/1887/धा038/2016.– पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) की धारा 38 की उप– धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना, संख्या का0 आ0 1/पं0अ0 17/1887/धा0 38/2013, दिनांक 7 जनवरी, 2013 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित फीसों का मापमान नियत करते हैं :–

(1) जब पंजीकृत विलेख द्वारा अथवा किसी अदालत की किसी डिक्री अथवा आदेश द्वारा अथवा पंजाब भू– राजस्व अधिनियम, 1887 के अध्याय IX के अधीन किसी विभाजन को करने या की पुष्टि करने वाले किसी राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा अधिकार के अर्जन अथवा हित से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि अथवा निजि विभाजन के अभिलेख मे समावेशन का निर्देश करते हुए उत्तराधिकारी द्वारा अधिकार अर्जन या हित मे दौ सौ पचास रुपये (₹ 250/–) प्रति इंतकाल फीस प्रभारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पचास रुपये (₹ 50/–) की राशि प्रति इंतकाल सर्विस प्रभार के रूप में प्रभारित की जाएगी जो जिला स्तर पर जिला सूचना प्रौधोगिकी संस्था (डी0आई0टी0एस0) में जमा की जाएगी। सर्विस प्रभारों से सम्बन्धित आवश्यक हिदायतें अलग से जारी की जाएगी :

परन्तु साक्ष्यांकन अधिकारी किसी अस्वीकृत इंतकाल पर फीस माफ कर सकता है। जब उसकी राय में उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इंतकाल की प्रविष्टि की गई थी, से फीस वसूल करना उचित न होगा।

(2) पूर्व पैरे में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित द्वारा अधिकार के अर्जन अथवा हित के सम्बन्ध में प्रविष्टियों पर कोई फीस :–

(i) पंजाब भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 45) के अधीन भू–दान यज्ञ बोर्ड अथवा भू–दान धारक पर ; और

(ii) ग्रामीण जनता आवास स्कीम के अधीन अनुसूचित जातियां अथवा पिछडें वर्गों के सदस्यों को निःशुल्क आवासीय प्लाटों के अलाट करने के सम्बन्ध में, प्रभारित नहीं की जाएगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 28th June, 2016

No. S.O. 18/P.A. 17/1887/S. 38/2016.— In exercise of the powers conferred by sub- section (I) of section 38 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887), and in supersession of Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, Notification No. S.O.18/P.A. 17/1887/S.38/2013, dated the 7th January, 2013, the Governor of Haryana hereby fixes the following scale of fees for the purpose of that section:—

(1) When the entry relates to the acquisition of a right or interest by a registered deed or by a decree or order of a court or by an order of a Revenue Officer making or affirming a partition under Chapter IX of the Punjab Land Revenue Act, 1887 or directing the incorporation in the record of a private partition, acquisition of a right or interest by inheritance, the fee of two hundred fifty rupees (₹ 250/-) per mutation shall be charged. Besides an amount of ₹50/- per mutation shall be charged as service charges which shall be deposited in the District Information Technology Society (DITS) at district level. Necessary instructions pertaining to service charges shall by issued separately:

Provided that the attesting officer may remit the fee on any rejected mutation when in his opinion it would not be proper to recover it from the person in whose favour the mutation was entered.

(2) Notwithstanding anything contained in the preceding paragraph, no fee shall be charged in respect of entries relating to the acquisition of a right or interest by the :—

(i) Bhudan Yagna Board or the Bhudan holder under the Punjab Bhudan Yagna Act, 1955 (Punjab Act 45 of 1956); and

(ii) Member of Scheduled Caste or Backward Class in respect of residential plots allotted to him free of cost under the Gramin Janta Housing Scheme.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

54433—L. R.—H.G.P., Chd.